संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवनभोपाल

क्रमांक/आई.डी.एस.पी/2020 504 भोपाल,दिनांकः 20/04/2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन,
समस्त आयुक्त नगर निगम,
समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः-disinfection टनल अथवा चेंबर न बनाने हेतु निर्देश।

सन्दर्भ -1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डायरेक्टर जनरल स्वास्थ्य सेवाओं की एडवाईजरी।
2. पंजाब एवं तमिलनाडू स्वास्थ्य विभाग के निर्देश।
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन की एडवाईजरी।

यह देखने में आया है कि कतिपय स्वास्थ्य संस्थाओं में एवं कार्यलयों में disinfection टनल अथवा चेंबर बनाये गए है। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,विश्व स्वास्थ्य संगठन की एडवाईजरी भी उपरोक्त टनल/चेंबर जो कि सोडियम हाइपोक्लोराईड/अल्कोहल का छिड़काव कर सेनेटाईजेशन करते है,हेतु मानव शरीर के लिए नुकसानदायक का उल्लेख करती है। यह शरीर के अंगों/कपड़ो का विसंक्रमण सुचारू रूप से नही करते। इसके साथ ही हाथ,आखों में जलन,गले में खराश,स्किन एलर्जी, उल्टी एवं फेफड़ो में ब्रान्कोस्पास्म भी कर सकते है।

इसके साथ ही यह टनल/चेंबर के उपयोगकर्ता को भ्रम में रख हाथ धोने व सोशल distancing के प्रोटोकाल के उल्लंघन का कारण भी बन सकता है, और एक झूठी सुरक्षा का आश्वासन देता है जो की हानिकारक भी हो सकता है।

उपरोक्त disinfection टनल/चेंबर का उपयोग अस्पतालों व अन्य संस्थाओं में न किया जाए।

संलग्न :- भारत सरकार के दिशा निर्देश।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए
मध्य प्रदेश

क्रमांक/आई.डी.एस.पी/2020 भोपाल,दिनांकः

<u>प्रतिलिपि-सूचनार्थ।</u>

1. अपर मुख्य सचिव,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मध्यप्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मध्यप्रदेश शासन।
3. मिशन संचालक,एन.एच.एम,भोपाल,मध्यप्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक,मध्यप्रदेश।

Ministry of Health & Family Welfare
Directorate General of Health Services
(EMR Division)

Advisory against spraying of disinfectant on people for COVID-19 management

Ministry of Health & Family Welfare has received many queries regarding the efficacy (if any) of use disinfectants such as Sodium hypochlorite spray used over the individuals to disinfect them. The strategy seems to have gained of lot of media attention and is also being reportedly used at local levels in certain districts/local bodies.

Purpose of the document
To examine the merit of using disinfectants as spray over human body to disinfect them from COVID-19 and to provide appropriate advisory

Disinfectants are chemicals that destroy disease causing pathogens or other harmful microorganisms. It refers to substances applied on inanimate objects owing to their strong chemical properties.

Chemical disinfectants are recommended for cleaning and disinfection only of frequently touched areas/surfaces by those who are suspected or confirmed to have COVID-19. Precautionary measures are to be adopted while using disinfectants for cleaning – like wearing gloves during disinfection.

In view of the above, the following advisory is issued:

- Spraying of individuals or groups is **NOT recommended** under any circumstances. Spraying an individual or group with chemical disinfectants is physically and psychologically harmful.
- Even if a person is potentially exposed with the COVID-19 virus, spraying the external part of the body does not kill the virus that has entered your body. Also there is no scientific evidence to suggest that they are effective even in disinfecting the outer clothing/body in an effective manner.
- Spraying of chlorine on individuals can lead to irritation of eyes and skin and potentially gastrointestinal effects such as nausea and vomiting. Inhalation of sodium hypochlorite can lead to irritation of mucous membranes to the nose, throat, respiratory tract and may also cause bronchospasm.
- Additionally use of such measures may in fact lead to a false sense of disinfection & safety and actually hamper public observance to hand washing and social distancing measures.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेस (EMR Division)

COVID–19 के प्रबंधन हेतु व्यक्तियों पर कीटाणुनाशक का छिड़काव (स्प्रे) नहीं करने के संबंध में दिशानिर्देश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को व्यक्तियों को सोडियम हाईपोक्लोराइड के छिडकांव द्वारा संक्रमण मुक्त करने के संबंध में अत्यधिक संख्या में प्रश्न प्राप्त हुये है। इस रणनीति को मीडिया एवं समाचार पत्रों के द्वारा कवरेज दिया गया है तथा स्थानीय स्तर पर जिले द्वारा इसके उपयोग के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई है।

उक्त दिशानिर्देश को जारी करने का उददेश्य

कोविड 19 से संक्रमण मुक्त करने हेतु कीटाणुनाशक के स्प्रे का मानव शरीर को संक्रमण मुक्त करने के लाभ का अध्यन कर उचित मार्गदर्शन प्रदान करना है।

कीटाणुनाशक (Disinfectants) एक प्रकार के रसायन है जो कि बीमारी उत्पन्न करने वाले कीटाणु एवं अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते है। यह र्निजीव पदार्थों के लिये उपयोग होता है क्योंकि इसमें तीव्र रसायनिक गुण होते है।

रासायनिक कीटाणुनाशकों का उपयोग केवल उन क्षेत्रों /सतहों जिनका बार–बार स्पर्श होता है तथा जिन्हें कोविड –19 होने का संदेह या पुष्टि होती है, उनकी सफाई तथा कीटाणुशोधन के लिये किया जाता है। कीटाणुनाशक का उपयोग करते समय सावधानियों को अपनाया जाना चाहिए – जैसे कीटाणुशोधन के दौरान दस्ताने पहनना।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये जाते है :–

- **किसी भी परिस्थिति में व्यक्तियों या उनके समूहों पर कीटाणुनाशक का छिड़काव अनुशंसित नहीं है। रासायनिक कीटाणुनाशक का किसी व्यक्ति या समूह पर छिड़काव शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक होता है।**
- शरीर के बाहरी हिस्से पर कीटाणुनाशक का स्प्रे करने से कोविड 19 वायरस से संभावित/संक्रमित व्यक्ति में वायरस नष्ट नहीं होता है क्योंकि वह शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है। इसके अलावा, इस बात का भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इनका छिडकाव बाहरी कपड़ों/शरीर पर करने से कीटाणु नष्ट होता है।
- क्लोरीन के छिड़काव से व्यक्ति की आंखों अथवा त्वचा में जलन हो सकती है साथ ही मतली और उल्टी जैसे प्रभाव भी पाचन तंत्र पर हो सकते है। सोडियम हाइपोक्लोराइट को सूंघने से नाक, गले, श्वसन नलिका की जलन हो सकती है तथा श्वसन तंत्र में सिकुडन के भी लक्षण हो सकते है।
- उक्त उपायों के प्रयोग से वास्तविक रूप में कीटाणुशोधन और सुरक्षा के संबंध में मिथ्य भावना पैदा हो सकती है और व्यक्तियों में कीटाणुशोधन हेतु कारगर उपाय जैसे हाथ धोना और सामाजिक दूरी बनाये रखने के संबंध में बाधा उत्पन्न हो सकती है।